कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक–   /2–37–2 **दिनॉकः.......................**

ई–निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) द्वारा अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से प्राधिकरण में विभिन्न कार्मिकों की आपूर्ति हेतु श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से एन0आई0सी0 द्वारा विकसित ई–प्रक्योरमेंट फार्म **http://etender.up.nic.in** पर ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है। विस्तृत ई–निविदा सूचना दिनॉक 01.04.2018 से 15.04.2018 को अपरान्ह् 3:00 बजे तक आनलाइन अपलोड की जा सकती है। ई–निविदा शुल्क के रूप में रू0 500.00 मात्र मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 कैम्पा को बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में देय होगा। ई–निविदा दिनॉक 16.04.2018 को अपरान्ह् 4:00 बजे खोली जायेगी। निविदादाताओं से प्रीबिड मीटिंग दिनॉक 10.04.2018 को अपरान्ह् 3:00 बजे अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में आयोजित की जायेगी।

ई–निविदा की शर्तों को बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये संशोधित/परिवर्तित या निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

नोटः– विस्तृत विवरण (नियम व शर्तें) ई–निविदा प्रपत्र में दी गयी हैं, जोकि ई–निविदा एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक– /2–37–2 दिनॉकः.........................

ई–निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 500.00
ई–निविदा के नियम, शर्ते एवं निविदा प्रपत्र

(क) सामान्य नियम एवं शर्ते (General Terms & Conditions)

1. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी से संलग्नक–1 में दिये गये विवरण के अनुसार कार्मिकों को उपलब्ध कराये जाने के लिये अनुबन्ध हेतु श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से एन0आई0सी0 द्वारा विकसित ई–प्रक्योरमेंट फार्म **http://etender.up.nic.in** पर ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है। विस्तृत ई–निविदा सूचना दिनॉक 01.04.2018 से 15.04.2018 को अपरान्ह् 4:00 बजे तक आनलाइन अपलोड की जा सकती है। उक्त ई–निविदा दिनॉक 16.04.2018 को अपरान्ह् 04:00 बजे खोली जायेगी। निविदादाताओं से प्रीबिड मीटिंग दिनॉक 10.04.2018 को अपरान्ह् 3:00 बजे अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में आयोजित की जायेगी।
2. ई–निविदा दस्तावेज की शर्तों का सावधानी पूर्वक एवं सूक्ष्मतः अध्ययन करें।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अपूर्ण अथवा संदिग्ध ई–निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। ई–निविदा के वित्तीय भाव पत्र (Financial Bid) में विवरण तथा दरें निर्धारित स्तम्भों में निर्धारित स्थान पर साफ–साफ भरी जानी चाहिए।
5. सेवा प्रदाता एजेंसी का कार्यालय लखनऊ में भी अवश्य होना चाहिये।
6. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
7. ई–निविदा में एक से अधिक निविदादाताओं की न्यूनतम दरें समान पाये जाने पर गत् 3 वर्षों के अधिक औसत वार्षिक टर्न ओवर वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. सम्पूर्ण आदेशित धनराशि में से नियमानुसार कर आदि की कटौती विभाग द्वारा की जायेगी।
9. सेवाकर (जी0एस0टी0) का भुगतान प्रमाण–पत्र सेवा प्रदाता एजेंसी को प्रस्तुत करना होगा।
10. ई–निविदा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा में खोली जायेगी। आवश्यक होने पर निविदा की शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं।
11. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की लापरवाही के कारण यदि किसी भी प्रकार की क्षति/नुकसान होता है तो सेवा प्रदाता एजेंसी को उक्त नुकसान की भरपाई करनी होगी।

(ख) अर्हता एवं योग्यता (Eligibility)

1. एजेंसी का पंजीयन एवं कोड आवंटन कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।
2. एजेंसी का पंजीयन एवं कोड आवंटन कर्मचारी राज्य बीमा निगम से होना अनिवार्य है।
3. एजेंसी का पंजीयन जी0एस0टी0 हेतु सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है।
4. एजेंसी का पंजीयन कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।
5. एजेंसी का पंजीयन सेवाकर हेतु सेंट्रल एक्साइज विभाग में होना अनिवार्य है।

6. सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी के रूप में पंजीयन से सम्बन्धित समस्त प्रमाणों की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
7. एजेंसी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, प्राविडेट अधिनियम के अन्तर्गत जनशक्ति आपूर्ति हेतु अनिवार्य है।
8. एजेंसी द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम में मानव संसाधन आपूर्ति का तीन वर्षीय अनुभव होना चाहिए तथा इससे सम्बन्धित कम से कम तीन कार्यादेश अपलोड करना अनिवार्य है।
9. एजेंसी द्वारा पैन नम्बर एवं बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(ग) वाणिज्यिक शर्तें (Commercial Conditions)

1. ई–निविदाता एजेंसी को पिछले तीन वर्ष के आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति अपलोड करनी होगी।
2. ई–निविदा के साथ ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500.00 (पॉच सौ रूपये) मात्र एवं रू0 20,000.00 (बीस हजार रूपये) मात्र के अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 की साफ्ट कापी ई–निविदा के साथ अपलोड की जायेगी और उसकी मूल कापी दिनॉक 09.04.2018 को अपरान्ह् 04:00 बजे तक उ0प्र0 कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त एफ0डी0आर0 ''मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 कैम्पा'' के नाम बंधक होगा। अर्नेस्ट मनी की धनराशि ई–निविदा स्वीकृत होने की दशा में सिक्योरिटी धनराशि में समाहित हो जाएगी अन्यथा वापस कर दी जायेगी।
3. सफल ई–निविदादाता को प्रतिभूति की धनराशि रू0 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो ''मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 कैम्पा'' के पक्ष में बंधक होगा, ई–निविदा स्वीकृत के 3 (तीन) दिवस के अन्दर कार्यालय में जमा कराना होगा। तत्पश्चात् फर्म से कार्यानुबन्ध कराया जा सकेगा। इसमें असफल रहने पर फर्म की ई–निविदा को निरस्त करते हुए ई0एम0डी0 जब्त कर ली जाएगी।
4. ई–निविदादाता को रू0 10.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पर नॉन कन्विक्शन सर्टीफिकेट व इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं प्रचलित है तथा फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
5. ई–निविदा चयनित होने के उपरान्त सफल ई–निविदादाता को कार्य हेतु योजित किये जाने वाले कर्मचारियों का फोटोग्राफ एवं उनका पूर्ण विवरण (आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं चरित्र प्रमाण–पत्र) संस्थान में प्रस्तुत करना होगा।
6. सेवा प्रदाता एजेंसी को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि वह संस्थान के किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके परिवार एवं उसका नजदीकी रिश्तेदार नहीं है।
7. सेवा प्रदाता एजेंसी अपने द्वारा रखे गये कर्मचारियों के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 जमा कराने के लिये उत्तरदायी होगी। सेवा प्रदाता एजेंसी श्रम विभाग द्वारा लागू किए गये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करेगी व अगले बिल के निबटारे के पहले प्रति माह इस बात का साक्ष्य (अभिलेख/साक्ष्य) प्रस्तुत करेगी कि गत् माह का ई0पी0एफ0/ ई0एस0आई0/जी0एस0टी0 तथा कार्मिकों को वेतन भुगतान का विवरण प्रति श्रमिक जमा करा दिया गया है।
8. अनुमोदित एजेंसी से रू0 100.00 मात्र के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जायेगा, जो अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

9. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा को समस्त अथवा किसी भी ई–निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में कोई क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
10. एजेंसी द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले प्रश्नगत् समस्त श्रमिक सेवा प्रदाता एजेंसी के कर्मी होंगे तथा उनका राजकीय सेवा के लिये कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. एजेंसी का कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा द्वारा नियमानुसार यथोचित दण्ड निर्धारित किया जाएगा, जो एजेंसी को मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में एजेंसी को एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. किसी प्रकार के विवाद में मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा और एजेंसी को मान्य होगा।
13. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1984 के अन्तर्गत देय न्यूनतम वेतन के भुगतान को पूर्ण उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा।
14. एजेंसी द्वारा वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी दी जायेगी, जिसको कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा कर्मी द्वारा संस्थान में हमेशा वर्दी पहनकर आना अनिवार्य होगा। निर्धारित वर्दी में न आने पर उसे ड्यूटी पर नहीं लिया जायेगा।
15. एजेंसी द्वारा एक बार आपूर्ति किये गये कार्मिकों को बिना सक्षम अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा) की पूर्व अनुमति के बदले नहीं जायेंगे।
16. एजेंसी कर्मी के अवकाश के जाने पर उसका प्रतिस्थानी एजेंसी द्वारा तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये एजेंसी संस्थान के लिये एक कर्मियों के पूल का गठन करके रखेगी जहॉ से तुरन्त प्रतिस्थानी उपलब्ध हो सकेगा। प्रतिस्थानी उपलब्ध न कराने पर कर्मी के उक्त अवकाश के लिये कोई भुगतान अनुमन्य नहीं होगा तथा साथ ही प्राधिकरण द्वारा दैनिक मजदूरी पर प्रतिस्थानी रखने पर अधिभुगतान की देयता भी सेवा प्रदाता की होगी।
17. यदि कोई भी दस्तावेज गलत/फर्जी पाया जाता है तो ई–निविदा स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी तथा जमानत धनराशि जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। ई–निविदा चयन के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करने के उपरान्त ही अनुबन्ध/आदेश निर्गत किये जायेंगे।
18. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक द्वारा कार्यालय में सम्बन्धी कार्य के संचालन, तकनीकी कार्य पद्धति, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रशासनिक/संगठनात्मक मामलों में उसकी गोपनीयता एवं निजता से सम्बन्धित जानकारी, जो विभाग की बौद्धिक सम्पत्ति है, की कोई जानकारी प्रकट नहीं की जायेगी।
19. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक किसी भी अपराध/वन अपराध/वन्यजीव अपराध/असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होने चाहिए, उपलब्ध कराये गये कार्मिक को समयबद्ध, मृदुभाषी, शिष्ट, स्पष्टवादी तथा दिये गये कार्यों में दक्ष होना चाहिए, उनके द्वारा मादक दृव्यपान, धूम्रपान, गुटखा सेवन आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये कार्मिकों द्वारा कार्यालय में स्वच्छता बनाये रखने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये कार्मिक द्वारा की गयी कोई भी उदण्डता के लिये सेवा प्रदाता एजेंसी जिम्मेदार होगी।

(घ) कार्य का ढ़ाचा (Scope of work)

1. उ0प्र0 कैम्पा में निम्न तालिका के अनुसार कार्मिकों की आवश्यकता हो सकती है, जिसे कार्य की आवश्यकतानुसार घटाया–बढ़ाया जा सकता है :–

क्र0सं0	कार्मिक विवरण	कार्मिकों की संख्या
1	वित्तीय प्रामर्शदाता	01
2	लेखा सहायक	01
3	कार्यालय लिपिक	02
4	रिकार्ड कीपर (कुशल श्रेणी)	01
5	डिस्पैचर (कुशल श्रेणी)	01
6	ड्राइवर (कुशल श्रेणी)	10
7	अर्दली (अकुशल श्रेणी)	04
8	माली (अकुशल श्रेणी)	01
9	सिक्योरिटी गार्ड (अकुशल श्रेणी)	04
10	सफाई कर्मी (अकुशल श्रेणी)	01

2. उ0प्र0 कैम्पा कार्यालय की चल अचल सम्पत्ति आदि की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व एजेंसी का होगा। सुरक्षा कर्मी की लापरवाही अथवा अनुशासनहीनता से होने वाली क्षति की भरपाई एजेंसी को करनी होंगी।
3. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की विकलांगता अथवा मृत्यु की दशा में (ड्यूटी के समय) अथवा क्षतिपूर्ति एवं अन्य व्यय के वहन का सम्पूर्ण दायित्व एजेंसी का होगा।
4. कर्मी की अनुशासनहीनता पर उसे संस्थान की ड्यूटी से हटा दिया जायेगा तथा एजेंसी को तत्काल प्रतिस्थानी उपलब्ध कराना होगा।
5. एजेंसी के कर्मी द्वारा किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का यदि वाद दायर किया जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा और ऐसे कर्मी को संस्थान में नहीं रखा जायेगा।

मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

तकनीकी भाव पत्र (Technical Bid)

1. ई–निविदा दाता फर्म/कम्पनी का नाम व पूरा पता..
....
....

2. कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण क्रमांक एवं पंजीकरण की तिथि (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे) ....
....

3. कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 के अन्तर्गत श्रम विभाग में पंजीकरण क्रमांक एवं पंजीकरण की तिथि (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)..
....

4. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण क्रमांक एवं पंजीकरण की तिथि (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)..
....

5. ई0एस0आई0 कार्पोरेशन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण क्रमांक एवं पंजीकरण की तिथि (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)...
....

6. सेवाकर हेतु सेंट्रल एक्साइज विभाग में एजेंसी की पंजीयन क्रमांक एवं पंजीकरण तिथि (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)...
....

7. एजेंसी का कम्पनी अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, प्राविडेट अधिनियम के अन्तर्गत जनशक्ति आपूर्ति हेतु पंजीकरण क्रमांक एवं पंजीकरण की तिथि (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे) ....
....

8. जी0एस0टी0 पंजीयन क्रमांक एवं पैन नम्बर ....
....

9. आयकर विभाग में रिर्टन फाइल किये जाने सम्बन्धी विगत् 3 कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी संलग्न करें (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे) ....
....

10. ई–निविदा प्रपत्र एवं अर्नेस्ट मनी की धनराशि का विवरण ....
....
....

11. पब्लिक नोटरी के द्वारा शपथ पत्र रू0 10/– के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नान कन्वीक्शन सर्टिफिकेट एवं कम्पनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है संबंधी शपथ पत्र............................. ....

12. ई–निविदादाता को विगत् तीन वर्षो के कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र तथा सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम कार्यादेश के गुणवत्ता एवं संतोषजनक कार्य सम्पन्न किये जाने का प्रमाण–पत्र (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित)...................................... ....

13. ई–निविदादाता फर्म को अपनी निविदा के साथ फर्म का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित टर्नओवर संबंधी प्रपत्र.. ....

14. गत् तीन वर्षो की अवधि में किसी एक संस्था से एक माह में रू0 1.00 लाख की लागत का यदि अनुबंध हुआ हो, तो सी0ए0 द्वारा आडिट की गयी बैलेंस शीट/व्यापार कर विभाग का प्रमाण–पत्र ....

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूॅ कि ई–निविदा की सभी शर्ते मेरे द्वारा पढ़कर भली भॉती समझ ली गई और मुझे पूरी तरह मान्य है। यदि नियम एवं शर्तो के पालन में कोई अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा फर्म के विरूद्व जो कार्यवाही की जायेगी उवसे फर्म द्वारा मान्य होगी। ई–निविदा शर्तो एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार कार्य/आपूर्ति करने का वचन देता हूॅ।

दिनांक....................................   हस्ताक्षर...

मालिक/मैनेजर का नाम..

लखनऊ स्थित कार्यालय का पता ....

....

फर्म की मुहर...

वित्तीय भाव पत्र (Financial Bid)

ई–निविदा सूचना दिनांक .... के संबंध में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0, कैम्पा, लखनऊ को विभिन्न कार्मिक उपलब्ध कराये जाने हेतु सेवा शुल्क की दर निम्न प्रकार है:–

कार्मिक विवरण	एजेंसी का सेवा शुल्क (प्रतिशत में)
वित्तीय प्ररामर्शदाता, लेखा सहायक, कार्यालय लिपिक, रिकार्ड कीपर, डिस्पैचर, ड्राइवर, अर्दली, माली, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मी	

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि ई–निविदा की सभी शर्ते मेरे द्वारा पढ़कर भली भॉती समझ ली गई और मुझे पूरी तरह मान्य है। यदि नियम एवं शर्तो के पालन में कोई अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा फर्म के विरूद्व जो कार्यवाही की जायेगी उसे फर्म द्वारा मान्य होगी। ई–निविदा शर्तो एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार कार्य/आपूर्ति करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर ....
मालिक/मैनेजर का नाम......................
....
पता...

फर्म की मुहर...

<u>संलग्नक–1</u>

क्र0 सं0	आपूर्ति किये जाने वाले कार्मिकों का विवरण	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	निर्धारित देय (Wages) (धनराशि रूपये में)
1	वित्तीय प्रामर्शदाता	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बी0काम0 की उपाधि। 2. उ0प्र0 / भारत सरकार के उपक्रम / विभाग अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से वित्त एवं लेखा क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव।	25000 / –
2	लेखा सहायक	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बी0काम0 की उपाधि। 2. कम्प्यूटर संचालन का डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त CCC सर्टिफिकेट एवं टैली पर न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव। 3. हिन्दी / अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 / 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति।	18000 / –
3	कार्यालय लिपिक	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. कम्प्यूटर संचालन का डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त CCC सर्टिफिकेट। 3. हिन्दी एवं अंग्रजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द और 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। 4. सम्बन्धित कार्य का अनुभव।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम विभाग द्वारा निर्गत Minimum rate of wages
4	रिकार्ड कीपर (कुशल श्रेणी)	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम विभाग द्वारा निर्गत Minimum rate of wages
5	डिस्पैचर (कुशल श्रेणी)	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम विभाग द्वारा निर्गत Minimum rate of wages
6	ड्राइवर (कुशल श्रेणी)	1. कक्षा–8 की परीक्षा उत्तीर्ण। 2. तीन वर्ष का हल्के वाहन चलाने का अनुभव। 3. वैध ड्राइविंग लाइसेंस।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम विभाग द्वारा निर्गत Minimum rate of wages
7	अर्दली (अकुशल श्रेणी)	1. कम से कम 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. साइकिल चलाने का अनुभव।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम विभाग द्वारा निर्गत Minimum rate of wages

क्र0 सं0	आपूर्ति किये जाने वाले कार्मिकों का विवरण	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	निर्धारित देय (Wages) (धनराशि रूपये में)
8	माली (अकुशल श्रेणी)	1. माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव। 2. साइकिल चलाने का अनुभव।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम विभाग द्वारा निर्गत Minimum rate of wages
9	सिक्योरिटी गार्ड (अकुशल श्रेणी)	1. कक्षा–8 की परीक्षा उत्तीर्ण। 2. सम्बन्धित कार्य का समुचित अनुभव।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम विभाग द्वारा निर्गत Minimum rate of wages
10	सफाई कर्मी (अकुशल श्रेणी)	1. सम्बन्धित कार्य का समुचित अनुभव।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम विभाग द्वारा निर्गत Minimum rate of wages